जनपद हमीरपुर

थाना-जरिया **दिनांक 15.11.2026**

थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 198/2026 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/288 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।



घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 12.11.2026 को वादी अरुण कुमार पुत्र जयपाल राजपूत निवासी ग्राम अमूंद, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके घर के बाहर आकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए।

वादी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 12.11.2026 को ही थाना जरिया पर मु0अ0सं0 198/2026 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/288 बीएनएस के तहत अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र रमेश राजपूत, निवासी ग्राम अमूंद, 2. अब्बू उर्फ अभय पुत्र पिंटू राजपूत, 3. संजय पुत्र लाखन, निवासीगण ग्राम रिगवारा खुर्द तथा 4. हृदेश पुत्र बिहारी, निवासी ग्राम रिगवारा कला, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 14.11.2026 को थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तगण 1.राहुल राजपूत पुत्र रमेश्चन्द्र 2. अभय राजपूत उर्फ अब्बू पुत्र अरूण कुमार 3. संजय सिंह पुत्र लखन राजपूत को मुखबिर खास की सूचना पर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पास बहद ग्राम कछवाकला से अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर प्रकरण में विधिक कार्यवाही पूर्णकर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.राहुल राजपूत पुत्र रमेश्चन्द्र निवासी (उम्र करीब 22 वर्ष) ग्राम अमूंद, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर।

2.अभय राजपूत उर्फ अब्बू पुत्र अरूण कुमार (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी ग्राम रिगवाराखुर्द, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर।

3.संजय सिंह पुत्र लखन राजपूत (उम्र करीब 26 वर्ष) निवासी ग्राम रिगवारखुर्द, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

1.अभियुक्त अभय राजपूत उर्फ अब्बू पुत्र अरूण कुमार के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

2.अभियुक्त संजय सिंह पुत्र लखन राजपूत के कब्जे से एक अदद जिन्दा व एक अदद मिस कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

3.अभियुक्त राहुल राजपूत पुत्र रमेश्चन्द्र के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा व एक अदद मिस कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

अभियुक्त राहुल राजपूत का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 293/2024 धारा 115(2), 324(4), 351(2), 352 बी0एन0एस0 थाना जरिया।

2.मु0अ0सं0 32/2026 धारा 115(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0 थाना जरिया।

3.मु0अ0सं0 198/2026 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/288 बी0एन0एस0 थाना जरिया।

अभियुक्त अभय राजपूत उर्फ अब्बू पुत्र अरूण कुमार का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 198/2026 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/288 बी0एन0एस0 थाना जरिया।

अभियुक्त संजय सिंह पुत्र लखन राजपूत का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 198/2026 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/288 बी0एन0एस0 थाना जरिया।

गिरफ्तारी का स्थान-

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पास ग्राम कछवाकला ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव

का0 निखिल यादव

का0 करन यादव

का0 अंचल पटेरिया